तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज F.S.S.Act Case No. 47/2025	नंबर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की तामिलमें जारी हुए
09-9-2025	पत्रावली पेश हुई। श्री धर्मवीर, आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही अनुपस्थित। प्रतिवादी डायाराम देवासी पुत्र श्री खिमाराम देवासी, विक्रेता एवं प्रोपराईटर, मैसर्स मां दूध डेयरी, तहसील रोड़, छावनी, शिवगंज, जिला– सिरोही, स्थाई पताः राईकों का वास, बांकली, जिला– पाली अनुपस्थित। आवेदक श्री धर्मवीर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा यह न्याय निर्णयन आवेदन प्रतिवादी के विरुद्ध आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 29–4–2025 को मैसर्स मां दूध डेयरी, तहसील रोड़, छावनी, शिवगंज, जिला– सिरोही में प्रतिवादी प्रोपराईटर व विक्रेता डायाराम देवासी पुत्र खिमाराम, जाति– देवासी, निवासी– राईकों का वास, बांकली, जिला– पाली से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत वास्ते नमूना जांच कीमतन क्रय किये गये खाद्य पदार्थ पनीर (लुज) को नमूना संख्या S-2646 खाद्य विश्लेषक, जोधपुर की जांच रिपोर्ट क्रमांकःL.S./644/Act/2025/644 दिनांक 16–5–2025 में अमानक (sub-standard) पाया जाने से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) व धारा 51 के तहत प्रस्तुत कर प्रतिवादी पर जुर्माना आरोपित करने का अनुरोध किया गया है। प्रस्तुत न्याय निर्णयन आवेदन को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को विधिवत नोटिस जारी कर तामिल करवाया गया। जिस पर प्रतिवादी डायाराम देवासी ने नियत सुनवाई तिथि 26–8–2025 को इस न्यायालय में उपस्थित होकर जुर्म स्वीकारोक्ति का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रकरण का निस्तारण करने का अनुरोध किया। जिस पर प्रतिवादी को दिनांक 26–8–2025 को ही सुना गया। प्रतिवादी ने अनुरोध किया कि उसका व्यापार छोटा सा है व यह उसका प्रथम अपराध है। भविष्य में अमानक खाद्य सामग्री विक्रय नही करेगा। अतः प्रकरण में कम जुर्माना कर निस्तारण करावे। हमनें सुनी गई बहस पर मनन किया एवं पत्रावली तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया तो यह पाया कि श्री धर्मवीर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही द्वारा दिनांक 29–4–2025 को खाद्य पदार्थो के निरीक्षण के दौरान प्रतिवादी डायाराम देवासी पुत्र खिमाराम, जाति– देवासी, निवासी– राईकों का वास, बांकली, जिला– पाली की प्रोपराईटरी फर्म मैसर्स मां दूध डेयरी, तहसील रोड, छावनी, शिवगंज, जिला– सिरोही में प्रतिवादी विक्रेता डायाराम देवासी पुत्र खिमाराम से उक्त मैसर्स मां दूध डेयरी की दुकान के अन्दर एक डीप फ्रिज में आम जन के बिक्री हेतु ट्रे में रखे हुए खाद्य पदार्थ पनीर (लुज) लगभग 2 किलोग्राम में से 01 (एक) किलोग्राम पनीर को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत नमूना जांच हेतु कीमतन क्रय कर विधिवत कार्यवाही करते हुए खाद्य पदार्थ पनीर (लुज) के नमूना संख्या S-2646 को जांच हेतु खाद्य विश्लेषक, जोधपुर को भिजवाया, जो खाद्य विश्लेषक, जोधपुर की जांच रिपोर्ट क्रमांकःL.S./644/Act/2025/644 दिनांक 16–5–2025 में अमानक (sub-standard) पाया गया है। इससे, यह स्पष्ट है कि प्रतिवादी डायराम देवासी पुत्र खिमाराम, प्रोपराईटर एवं विक्रेता, मैसर्स मां दूध डेयरी, तहसील रोड़, छावनी, शिवगंज, जिला– सिरोही ने अमानक (sub-standard) खाद्य पदार्थ पनीर (लुज) का विक्रय करके खाद्य ....लगातार	

न्यायालय अति० जिला मजिस्ट्रेट सिरोही (राज०)

अति. जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही–307001.

तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज F.S.S.Act Case No. 47/2025	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की तामिलमें जारी हुए
	सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन किया है, जो उक्त अधिनियम की धारा 51 के तहत जुर्माने योग्य अपराध है।	

आदेश

अतः हस्तगत न्याय निर्णयन आवेदन अर्न्तगत धारा 26 की उपधारा 2(ii) व धारा 51 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 विरुद्ध प्रतिवादी स्वीकार किया जाकर उक्त अधिनियम की धारा 51 के तहत अमानक (sub-standard) खाद्य पदार्थ पनीर (लुज) (नमूना संख्या S-2646) के विक्रय हेतु प्रतिवादी डायाराम देवासी पुत्र खिमाराम देवासी, जाति– देवासी, निवासी– राईकों का वास, बांकली, जिला– पाली, प्रोपराईटर एवं विक्रेता, मैसर्स मां दूध डेयरी, छावनी रोड़, शिवगंज, जिला– सिरोही पर राशि रुपये 30,000/– (अक्षरे रुपये तीस हजार मात्र) की शास्ति (Penalty) अधिरोपित की जाती है। साथ ही, प्रतिवादी डायाराम देवासी पुत्र खिमाराम देवासी, जाति– देवासी, निवासी– राईकों का वास, बांकली, जिला– पाली, प्रोपराईटर एवं विक्रेता, मैसर्स मां दूध डेयरी, छावनी रोड़, शिवगंज, जिला– सिरोही को आदेशित किया जाता है कि वह उक्त शास्ति (Penalty) का राष्ट्रीयकृत बैंक से न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के पक्ष में Crossed Demand Draft जिसका भुगतान सिरोही शहर में प्राप्त किया जा सके, बनवाकर न्याय निर्णय अधिकारी एवं अति० जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के कार्यालय में 15 दिन के भीतर जमा करवाये। निर्णय सुनाया गया। निर्णय की प्रति संबंधित खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं प्रतिवादी को प्रेषित की जावे। मिसल वास्ते जमा होने जुर्माना राशि डी.डी. आयन्दा दिनांक 10–10–2025 को पेश हो।

न्यायालय प्रा० जिला मजिस्ट्रेट सिरोही (राज०)

(डॉ. दिनेश राय सापेला)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही
(न्याय निर्णयन अधिकारी)